

RTI/49/2013-F-I
Government of India
Ministry of Home Affairs

NDCC-II Building, Jai Singh Road,
New Delhi, dated 28th May, 2013

To

Shri Avinash Kumar Dwivedi,
Father ; Sh. Ram Niwas Dwivedi,
House No.42/7, Gyan Jyotividya,
Behind Temple, Ward No.14,,
Manendergarh Korea,
Chhattisgarh

Subject: Information sought under the RTI Act, 2005

Sir,

Please refer to your application dated 12.04.2013, received by the undersigned on 01.05.2013 on transfer from **Shri Sanjay Mitra**, Under Secretary(RTI), Ministry of Home Affairs, vide their O.M. No.A-43020/01/2013/-RTI dated 30.04.2013, seeking information under the RTI Act, 2005.

2. Information sought by you in point nos. 1 and 2 of your RTI application is not centrally maintained in Ministry of Home Affairs (Foreigners Division). You may contact Home Departments of the concerned State Govts/UT Administration for this information.

3. As regards point no 3 of your RTI application, it may be stated that in respect of Pakistani nationals belonging to minority communities in Pakistan who have come to India and have not gone back to Pakistan on the grounds of religious persecution, instructions have been issued by the Ministry of Home Affairs to the State Governments/UT Administrations on 7.3.2012 to consider such cases in the light of the guidelines issued by the Government on 29.12.2011 to deal with cases of foreign nationals who claim to be refugees. The guidelines issued on 29.12.2011 stipulate that in case it is found that prima facie the claim of the foreign national regarding reasons for leaving the originating country is justified on the grounds of well-founded fear of persecution on account of race, religion, sex, nationality, ethnic identity, membership of a particular social group or political opinion, the State Governments/UT Administration may recommend such cases to the Ministry of Home Affairs for grant of Long Term Visa (LTV) after due enquiry. It is further provided that the Ministry of Home Affairs will consider all inputs and convey the final decision on grant of LTV to the State Governments/UT concerned. There are no other specific proposals under consideration of this Ministry with regard to Pakistani and Bangladeshi nationals claiming to be refugees.

4. As regards point no. 4 of your RTI application, it may be stated that the Ministry of Home Affairs (Foreigners Division) has no information to furnish in this regard. You may contact the Ministry of External Affairs (Pak Division) for obtaining information, if any available, with them.

5. If you are not satisfied with the information furnished, you may file an appeal to Shri V.Vumlunmang, Joint Secretary (Foreigners) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, Foreigners Division, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi within the prescribed time limit.

Yours faithfully,


(P.V. Sivaraman)

Director (Foreigners) & CPIO

नं. ए-4300/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक : 30/4 / 2013

F-3654/सूच(पि)/13
15

सूच(पि) on leave
US(F)

कार्यालय सापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री... अतिनाश कुमार द्विवेदी ... का आवेदन।

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री... अतिनाश कुमार द्विवेदी ... के दिनांक: 29/4 /2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में से अंतरण द्वारा दिनांक: 29/4 /2013 को प्राप्त) को विदेश / एन. एन. ए. प्रभाग को अत्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अत्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक:...../...../2013 की रसीद सं..... के तहत जमा कर दिया है ~~संलग्न~~ नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

संलग्नक : यद्योपरि

संजय मिश्रा
(संजय मिश्रा)
अवर सचिव, भारत सरकार

- सेवा में
- (1) निदेशक (एन.ए.) गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.डी. 11 गठन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली
- (2) उपसाचिव (सुबवास) गृह मंत्रालय, एन.डी.सी.डी. 11 गठन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित
श्री/श्रीमती/सुश्री अतिनाश कुमार द्विवेदी
मो. नं. 9806217, गति ज्योती विद्या
मन्केर के पीछे वाड. नं. 14
मिन्दुगढ़ कोरिया - पिन 20010

V. Kap
1/5/13
F.1
250/USCFD/113
21/05

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

प्रति,

जनसूचना अधिकारी,
गृह मंत्रालय भारत सरकार
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 001

27 APR 2013

Dated 12-04-2013

विषय:-

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी बावत्।

—000—

2727/RTI/2013

30/4/13

मान्यवर,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि आवेदक अविनाश कुमार द्विवेदी आ. श्री राम निवास द्विवेदी निवासी वार्ड क्र. 14, ज्ञान ज्योति विद्या मंदिर के पीछे मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया छ.ग. 497442 सूचना के अधिकार 2005 के तहत जानकारी निम्न बिन्दुओं के आधार पर चाहता है। कृपया जानकारी आवेदक को हिन्दी भाषा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. वर्ष 2009 से फरवरी 2013 तक कितने पाकिस्तानी एवं बांग्लादेशी हिन्दु भारत आये? इनमें से कितने शरणार्थी के तौर पर आए।
2. इन तमाम हिन्दु भाईयों को कितने-कितने दिनों का वीजा दिया गया था, जिनमें से कितने हिन्दु वापस अपने वतन लौटे।
3. पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी हिन्दुओं के विषय में भारत सरकार/गृह मंत्रालय की क्या-क्या योजनाएँ हैं?
4. पाकिस्तान में हिन्दुओं के हितों की रक्षा हेतु भारत सरकार के द्वारा क्या और कौन कौन से प्रयास (इनिसेटिव) किये गये हैं।

कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी

संलग्न:- गरीबी रेखा का राशन कार्ड

शुल्क में छूट हेतु

स्व. अनुरोध + प्रति 1/1

अविनाश कुमार द्विवेदी
आवेदक

अविनाश कुमार द्विवेदी
पिता श्री राम निवास द्विवेदी
म.क्र.42/7, ज्ञान ज्योतिविद्या
मंदिर के पीछे वार्ड क्र.14
मनेन्द्रगढ़ कोरिया छ.ग.

File (F1)
on leave

W&F

मुख्य पुरा नाम: रामनिवास

परिवार के सदस्यों का विवरण

स.क्र. नाम पिता/पति का नाम उम्र मुखिया से संबंध

- 1. रामनिवास का. अंगदीश प्रसाद 36 स्वयं
- 2. उर्मिला का. शम्भुनिवास 35 पत्नी
- 3. शम्भुनिवास का. शम्भु 75 पुत्र
- 4. शम्भुनिवास का. शम्भु 70 पुत्र
- 5. अनन्निवास का. शम्भु 6 पुत्र



डॉ. रामनिवास का. शम्भु
मुखिया का
अंतराष्ट्र / अंग्रेजी का निशान

रामनिवास का. शम्भु
समसूचीन अंतराष्ट्र
पॉस्ट, वार्ड नं. 14
नगरपालिका पोस्ट, पोखरा-२
Self Health
for P.T. & ...

कलेक्टर द्वारा अधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख आदेश**

आदेश दिनांक 02-05-2003

1. निर्धारित समयानुसार दुकान खोलने, निर्धारित दरों पर खाद्यान्न वितरण न करने, राशनकार्ड को दुकानदार द्वारा अपने पास रखने, राशनकार्ड में जाली प्रविष्टि करने, राशन दुकान में अनाधिकृत व्यक्तियों/संस्थाओं को अपने एवं राशन कार्डधारी की कालवाजारी/राशनकार्ड धारण वाले उचित मूल्य दुकानदारों को राशन वितरण प्रणाली को बाधना/खराब करने/बाधना करने/बाधना करने के लिए/अन्योदय परियों को बाधना/खराब करने एवं उनकी सुविधा अनुसार बाधना करने/बाधना करने किया जाये।
2. बी. पी. एल./अन्योदय परियों को बाधना/खराब करने एवं उनकी सुविधा अनुसार बाधना करने/बाधना करने किया जाये।
3. गरीबी रेखा के नीचे जीवन वापन करने वाले एवं अति गरीब अनयोदय परिवार को राशन पात्रता के संबंध में अग्रता करने हेतु पर्याप्त प्रचार किया जाये।
4. अनयोदय अन्नयोजना के अंतर्गत निम्न श्रेणी के लोगों को सम्मिलित किया जाये -
 - (1) वृद्ध निःशक्ति एवं निःशक्ति स्त्री एवं पुरुष, विधवा/एककी महिला/जिन कोई आर्थिक सहायता प्राप्त न रहे,
 - (2) 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति जिन्हें कोई आर्थिक सहायता एवं जीवन वापन के राशन उपलब्ध न हो।
 - (3) निःशक्त व्यक्ति प्रमुख परिवार जिन्हें जीवनवापन के राशन उपलब्ध न हो।
 - (4) ऐसे परिवार जिसमें वृद्धावस्था, शारीरिक और मानसिक असुविधा तथा निःशक्त व्यक्ति की देख-रेख की आवश्यकता या अन्य कारणों से परिवार का कोई भी व्यक्ति सदस्य घर से बाहर लाभकारी रोजगार का हेतु उपलब्ध न हो।
 - (5) विशेष पिछड़ी जनजातियाँ।

बी.पी.एल. परिवारों हेतु निःशुल्क चिकित्सा सहायता

- गरीबी रेखा के नीचे जीवन-वापन करने वाले समस्त बी.पी.एल. परिवारों हेतु राज्य शासन की ओर से निम्न चिकित्सा सुविधाएं/निःशुल्क उपचार दिये जायेंगे:-
1. राज्य शासन के समस्त अस्पतालों में बीमारियों के निदान हेतु उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं।
 2. राज्य बीमारी सहायता निधि (संजीवनी फंड) से 13 नंबर बीमारियों हेतु सहायता। ये बीमारियाँ निम्न हैं:-
 1. सभी प्रकार के कैंसर रोग का पूर्ण उपचार एवं ऑपरेशन, 2. वक्षीय सर्जरी, 3. गुर्दा की सर्जरी एवं प्रत्यारोपण, 4. कूल्हे की हड्डी दुर्घटना, 5. गुणना बदलना, 6. पित्त की अरुन्धी चोट सर्जरी, 7. प्रत्यारोपण, 8. नीम वेहोशी स्थितियाँ, 9. सिंड की हड्डी की सर्जरी, 10. आँख के पर्दे के अन्तः होने वाली सर्जरी, 11. प्रसव उपरान्त उत्पन्न जटिलताएँ, 12. हृदय की सर्जरी, 13. प्राकृतिक विषदाओं/औद्योगिक दुर्घटनाओं, कृषि उपकरणों/संसाधन तथा कम विस्फोट से हुई दुर्घटना के उपचार/सर्जरी
 3. संजीवनी कोष से सहायता प्राप्त करने हेतु अपने जिले के कलेक्टर को निर्धारित प्रारूप में आदेश प्रमाण-पत्रों के साथ आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
 4. निर्धन व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु राज्य शासन द्वारा एकराट हार्ट सेन्टर एवं आयुष्मान् सेवा केंद्रों में उपलब्ध स्थान आरक्षित किए गए हैं।

आर0टी0आई0 मामला/स्पीड पोस्ट द्वारा

आर0टी0आई0/49/2013-एफ0-1


भारत सरकार

गृह मंत्रालय

एन0डी0सी0सी0-11 भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली, दिनांक, 30मई, 2013

सेवा में,

श्री अविनाश कुमार द्विवेदी,
पिता ; श्री राम निवास निवास द्विवेदी,
म0न0 42/7, ज्ञान न्योतिविद्या,
मंदिर के पीछे, वाई संख्या 14
मनेन्द्रगढ़ कोरिया,
छत्तीसगढ़



31 MAY 2013

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारी - के संबंध में।

महोदय,

कृपया श्री संजय मित्रा, अवर सचिव (आर0टी0आई0) गृह मंत्रालय के दिनांक 30.04.2013 के का0जा0 संख्या ए-43020/01/2013-आर0टी0आई के तहत अंतरित, अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 01.05.2013 को प्राप्त किए गए अपने दिनांक 12.04.2013 के आवेदन का अवलोकन करें जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी मांगी गई है।

2. आपके आर0टी0आई0 आवेदन के बिन्दु संख्या 1 और 2 में आपके द्वारा मांगी गई जानकारी केन्द्रीय रूप से गृह मंत्रालय (विदेशी प्रभाग) में नहीं रखी जाती है इस जानकारी के लिए कृपया आप संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के गृह विभागों से संपर्क करें।

3. आपके आर0टी0आई0 आवेदन के बिन्दु संख्या 3 के संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित पाकिस्तानी राष्ट्रिक जो धार्मिक उत्पीड़न के आधारों पर भारत आए हैं और पाकिस्तान वापिस नहीं गए हैं, के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 07.03.2012 को निदेश जारी किए गए हैं कि शरणार्थी होने का दावा करने वाले विदेशी राष्ट्रिकों के मामलों से निपटने के लिए ऐसे मामलों पर सरकार द्वारा दिनांक 29.12.2011 को जारी किए गए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विचार करें। दिनांक 29.12.2011 को जारी किए गए दिशा-निर्देशों में आवश्यक शर्त है कि यदि मूल देश छोड़ने के संबंध में जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता, नृजातीय पहचान, किसी विशेष सामाजिक या राजनीतिक समूह की सदस्यता की वजह से उत्पीड़न के सुस्थापित भय के कारण विदेशी राष्ट्रिक द्वारा किया गया दावा प्रथम दृष्टया सही


(Handwritten signature)

पाया जाता है तो राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सम्यक जांच के पश्चात् दीर्घावधिक वीजा की मंजूरी हेतु ऐसे मामलों की सिफारिश गृह मंत्रालय से करें। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय सभी जानकारीयों पर विचार करेगा और दीर्घावधि वीजा की मंजूरी पर अंतिम निर्णय की सूचना संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को देगा। शरणार्थी होने का दावा करने वाले पाकिस्तानी और बंगलादेशी राष्ट्रियों से संबंधित अन्य कोई विशिष्ट प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

4. आर0टी0आई0 आवेदन के बिन्दु संख्या 4 के संबंध में, उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्रस्तुत करने हेतु कोई जानकारी गृह मंत्रालय (विदेशी प्रभाग) में नहीं है। आप विदेश मंत्रालय (पाक प्रभाग) से जानकारी प्राप्त करने के लिए, यदि उनके पास कोई है, संपर्क कर सकते हैं।

5. यदि आप उपर्युक्त जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो आप विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकारी अर्थात् श्री वी0 वुमलुनमंग, संयुक्त सचिव (विदेशी), भूतल, एन0डी0सी0सी0-11 भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली के समक्ष अपील कर सकते हैं।

भवदीय,


(पी0वी0 शिवरामन)

निदेशक (विदेशी) एवं सी0पी0आई0ओ0

18/5/13


RTI MATTER / BY SPEED POST

RTI/49/2013-F-1
Government of India
Ministry of Home Affairs

NDCC-II Building, Jai Singh Road,
New Delhi, dated 28th May, 2013

To

Shri Avinash Kumar Dwivedi,
Father ; Sh. Ram Niwas Dwivedi,
House No.42/7, Gyan Jyotividya,
Behind Temple, Ward No.14.,
Manendergarh Korea,
Chhattisgarh



30 MAY 2013

Subject: Information sought under the RTI Act, 2005

Sir,

Please refer to your application dated 12.04.2013, received by the undersigned on 01.05.2013 on transfer from Shri Sanjay Mitra, Under Secretary(RTI), Ministry of Home Affairs, vide their O.M. No.A-43020/01/2013/-RTI dated 30.04.2013, seeking information under the RTI Act, 2005.

2. Information sought by you in point nos. 1 and 2 of your RTI application is not centrally maintained in Ministry of Home Affairs (Foreigners Division). You may contact Home Departments of the concerned State Govts/UT Administration for this information.

3. As regards point no 3 of your RTI application, it may be stated that in respect of Pakistani nationals belonging to minority communities in Pakistan who have come to India and have not gone back to Pakistan on the grounds of religious persecution, instructions have been issued by the Ministry of Home Affairs to the State Governments/UT Administrations on 7.3.2012 to consider such cases in the light of the guidelines issued by the Government on 29.12.2011 to deal with cases of foreign nationals who claim to be refugees. The guidelines issued on 29.12.2011 stipulate that in case it is found that prima facie the claim of the foreign national regarding reasons for leaving the originating country is justified on the grounds of well-founded fear of persecution on account of race, religion, sex, nationality, ethnic identity, membership of a particular social group or political opinion, the State Governments/UT Administration may recommend such cases to the Ministry of Home Affairs for grant of Long Term Visa (LTV) after due enquiry. It is further provided that the Ministry of Home Affairs will consider all inputs and convey the final decision on grant of LTV to the State Governments/UT concerned. There are no other specific proposals under consideration of this Ministry with regard to Pakistani and Bangladeshi nationals claiming to be refugees.

4. As regards point no. 4 of your RTI application, it may be stated that the Ministry of Home Affairs (Foreigners Division) has no information to furnish in this regard. You may contact the Ministry of External Affairs (Pak Division) for obtaining information, if any available, with them.

5. If you are not satisfied with the information furnished, you may file an appeal to Shri V.Vumlungang, Joint Secretary (Foreigners) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, Foreigners Division, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi within the prescribed time limit.

Yours faithfully,


(P.V. Sivaraman)

Director (Foreigners) & CPIO